**संख्या- 97/2024/298/35-4-2024/35-4099/52/2024**

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमरोहा ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ; दिनांक: 04 मार्च, 2024

विषय:- जनपद- अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0- 93/2024/239/35-4-2024/35-4099/52/2024 दिनांक 04-03-2024 द्वारा सड़क व नाली निर्माण से संबंधित कार्य यथा- 'ग्राम रखेड़ा में कैलाश भगत जी के मकान से ब्रहम्पाल के मकान तक सीसी0 रोड व नाली निर्माण कार्य' हेतु अवशेष धनराशि रु0 13.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है |

उक्त शासनादेश दिनांक 04-03-2024 के प्रथम प्रस्तर में त्रुटिवश जिलाधिकारी, अमरोहा के प्रश्नगत पत्र का 'पत्रांक- 96/त्व०आ०वि०यो०/2023-24 दिनांक 07-02-2024' अंकित हो गया है, जबकि जिलाधिकारी, अमरोहा के प्रश्नगत पत्र का शुद्ध 'पत्रांक- 94/त्व०आ०वि०यो०/2023-24 दिनांक 07-02-2024' है |

अत: उक्त शासनादेश दिनांक 04-03-2024 के प्रथम प्रस्तर में 'पत्रांक- 96/त्व०आ०वि०यो०/2023-24 दिनांक 07-02-2024' के स्थान पर 'पत्रांक- 94/त्व०आ०वि०यो०/2023-24 दिनांक 07-02-2024' पढ़ा व समझा जाए |

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04-03-2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा |

भवदीय,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

**संख्या- 97/2024/298(1)/35-4-2023/35-4099/52/2024 तददिनांक |**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, अमरोहा ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमरोहा ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अमरोहा ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अमरोहा ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।